[2014] 8 एस. सी. आर 871

रोहतास भांखर और एक अन्य

बनाम

भारत संघ और एक अन्य

(सिविल अपील 2004 का 6046-6047)

15 जुलाई, 2014

[आर. एम. लोधा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जगदीश सिंह खेहर, जे. चेलमेश्वर, ए. के. सिकरी, आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 16 (4), 16 (4ए) और 335-पदोन्नति के लिए आरक्षण-पदोन्नति के लिए विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में आरक्षित श्रेणी (एससी/एसटी उम्मीदवारों) के सदस्यों के लिए मूल्यांकन के मानकों में ढील-अनुमति-विनोद कुमार मामले में निर्णय को देखते हुए जो कम योग्यता अंकों के लिए प्रावधान करता है। मूल्यांकन की स्थिति अनुच्छेद 16 (4) के विपरीत थी, राज्य ने अपने 1997 के ज्ञापन द्वारा 1970 के ज्ञापन को वापस ले लिया, जिसके तहत मूल्यांकन के मानक में ढील दी गई थी-1997 के ज्ञापन की वैधता-आयोजितः1997 ज्ञापन अवैध था-विनोद कुमार मामले में निर्णय आकस्मिक था क्योंकि इसे अन्य प्रावधानों पर विचार किए बिना पारित किया गया था। 16(4ए) संविधान द्वारा लाया गया (सत्ततरवाँसंशोधन) अधिनियम, 1995-इसके अलावा, संविधान (बरासिवाँ संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा अनुच्छेद 335 में एक परंतुक भी जोड़ा गया है-केंद्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी श्रेणी/आशुलिपिक श्रेणी बी (सीमित एफ विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा) विनियम, 1964-केंद्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी श्रेणी आशुलिपिक श्रेणी बी • (सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा) संशोधन विनियम, 1998

ओ. एम. नं. 36012123/96-स्थापना(रेस.) दिनांक 22.7.1997 जारी किया गया था जिसके द्वारा ओ. एम. सं. 8/12/69-स्थापना में निहित निर्देश जारी किए गए थे। (एस. सी. टी.) दिनांक 23.12.1970 को वापस ले लिया गया था जिसमें विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में मानकों में ढील दी गई थी। तदनुसार, केंद्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी श्रेणी/आशुलिपिक श्रेणी बी (सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा) विनियम, 1964 को केंद्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी श्रेणी/आशुलिपिक श्रेणी बी (सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा) संशोधन विनियम, 1998 द्वारा संशोधित किया गया था।

निचली अदालत ने विनोद कुमार के मामले पर भरोसा किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कम योग्यता अंकों/मूल्यांकन के मानक के लिए प्रावधान 16(4) संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार अनुमेय नहीं थे। इस अदालत में अपील करते हुए, खंड पीठ ने यह देखते हुए कि इंद्र साहनी मामले पर ध्यान दिए बिना ही कुलदिप सिंह का मामला पारित कर दिया गया था, मामले को तीन-न्यायमूर्तिगण की पीठ को भेज दिया। इस मामले को आगे वर्तमान संविधान पीठ के पास भेजा गया, जिसमें कुलदिप सिंह के मामले में फैसले की शुद्धता पर संदेह किया गया।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

कहाः 1. इंदिरा साहनी के मामले में टिप्पणियों को पूर्ववत करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 16 (4ए) जोड़ा गया था कि पदोन्नति के मामलों में मानकों को कम नहीं किया जा सकता है। यद्यपि अनुच्छेद 16 (4ए) को संविधान (सत्तत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा संविधान में लाया गया था, जो 17.6.1995 से प्रभावी था। इस न्यायालय ने अनुच्छेद 16 (4ए) में निहित संवैधानिक प्रावधान को ध्यान में रखते हुए कुलदिप सिंह के मामले का फैसला किया था। इसलिए, उलदीप सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिया गया

दृष्टिकोण अनुच्छेद 16 (4ए) में व्यक्त संवैधानिक योजना के अनुरूप है। इसके अलावा संविधान (82वां संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा 8.9.2000 से प्रभावी संविधान के अनुच्छेद 335 में एक परंतुक जोड़ा गया है। [पैरा 3,4,9 और 10] [875-सी-डी; 879-डी]

2. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने एस. विनोद कुमार के मामले का अनुसरण किया है जो एक अच्छा कानून नहीं है और परिणामस्वरूप 1997 का ओ. एम. भी अवैध है। उत्तरदाताओं को अनुभाग अधिकारियों/8 आशुलिपिकों (श्रेणी बी/श्रेणी-1) सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा, 1996 के परिणामों को संशोधित करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें एफओआर आरक्षण प्रदान किया जाता है और अपीलार्थियों को सभी परिणामी राहतें दी जाती हैं, यदि अब तक नहीं दी गई हैं। [पैरा 10 और 11] [879-एफ-एच]

एस. विनोद कुमार बनाम भारतीय संघ और अन्य **1996 (7) पूरक एस. सी. आर. 142 = (1996) 6 एस. सी. सी. 580-पर इनक्यूरियम अभिनिर्धारित**

अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, यू. टी. चंडीगढ़ और अन्य बनाम कुदीप सिंह और अन्य **1997 (1) एस. सी. आर. 454 = (1997) 9 सेक 199-पुष्टि की गई।**

एम. नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **2006 (7) पूरक एस. सी. आर. 336 = (2006) 8 एस. सी. सी. 212-इसके बाद।**

इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ और अन्य **1992 (2) पूरक एस. सी. आर. 454 = 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217-संदर्भित।**

वाद विधि संदर्भ

1996 (7) पूरक एस.सी.आर. 142	के अनुसार अभिनिर्धारित	कंडिका 2
1992 (2) पूरक एस.सी.आर. 454	संदर्भित	कंडिका 6
1997 (1) एस.सी.आर. 454	पुष्टि	कंडिका 10

2006 (7) पूरक एस.सी.आर. 336 पालन किया गया कंडिका 7

दिवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2004 की सिविल अपील संख्या 6046-6047

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली की प्रधान पीठ के 1998 के मूल आवेदन संख्या 499 और 849 में दिनांकित 06.11.1998 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए डॉ. कृष्ण सिंह चौहान, अजीत कुमार एक्का, रवि प्रकाश, चांद किरण, मुरारी लाल।

उत्तरदाताओं के लिए रंजीत कुमार, एस. जी., पी. एस. पटवालिया, ए. एस. जी., ए. मारियारपुथम, वी. मोहना, बीनू टम्टा, डी. एल. चिंदानंद, सुषमा सूरी।

न्यायालय का आदेश दिया गया

आर.एम.लोढ़ा, भारत के मुख्य न्यायाधीश 23.12.1970 (1970 ओ. एम.) को कार्मिक विभाग ने ओ. एम. सं. 8/12/69-स्थापना(एस.सी.टी) के रूप में कार्यालय ज्ञापन जारी किया। (एस. सी. टी.) विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं और विभागीय पुष्टि परीक्षाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में मानकों में ढील देना। उक्त ओ. एम. लगभग 17 वर्षों तक ओ. एम. सं. 36012/23/96-स्थापना तक चालू रहा जब तक(आर. ई. एस.) दिनांक 22.7.1997 को जारी नहीं किया गया था जिसके तहत निर्देशों में न्याय था। 1970 में ओ. एम. को वापस ले लिया गया। इसके बाद केंद्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी श्रेणी/आशुलिपिक श्रेणी बी (सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा) विनियम, 1964 (संक्षिप्त में "1964 विनियम") को केंद्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी श्रेणी/आशुलिपिक श्रेणी बी (सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा) संशोधन विनियम, 1998 (संक्षिप्त में "1998 विनियम") द्वारा संशोधित किया गया। इस संशोधन का परिणाम यह हुआ कि 1964 के विनियम, विनियम 7, उप-

विनियम (3) को 22.7.1997 को और उससे हटा दिया गया था। उपरोक्त अधिसूचना के साथ संलग्न व्याख्यात्मक टिप्पणी इस प्रकार हैः

> एस. विनोद कुमार बनाम भारत संघ (जे. टी. 1996 (8) एस. सी. 643) के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुपालन में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी श्रेणी/आशुलिपिक श्रेणी 'बी' (सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा) विनियम, के विनियमन 7 (3) के प्रावधानों को हटाने का फैसला किया। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के पक्ष में आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए योग्यता मानक में ढील का प्रावधान करता है जिसे कानूनी रूप से अमान्य और अप्रवर्तनीय बना दिया गया है। यह प्रमाणित है कि इस संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से कोई भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है।

2. एस. विनोद कुमार में, इस न्यायालय ने इंद्र साहनी पर भरोसा करते हुए कहा कि अनुच्छेद 335 को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत कम योग्यता अंकों/मूल्यांकन के मानक के लिए प्रावधान की अनुमति नहीं है।

3.यद्यपि अनुच्छेद 16 (4 ए) को संविधान (77 वां संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा संविधान में लाया गया था, लेकिन एस. विनोद कुमार ने इस संवैधानिक प्रावधान को ध्यान में नहीं रखा। हमारे विचार में, एस. विनोद कुमार पर इनक्यूरियम है।

4. इसके अलावा संविधान द्वारा (बेरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000, संविधान के अनुच्छेद 335 में 8.9.2000 एक परंतुक से प्रभावी जोड़ा गया है। परंतुक इस प्रकार हैः

> बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में किसी भी परीक्षा में योग्यता अंकों में छूट या मूल्यांकन के मानकों को कम करने, संघ या किसी राज्य के मामलों के संबंध में किसी भी वर्ग या सेवाओं के

वर्गों या पदों पर पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।

5. 8.10.1999 को जब विशेष अनुमति याचिकाएं, जिनसे ये अपीलें उत्पन्न होती हैं, दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आती हैं, तो पीठ ने पहले मामले में विचार के लिए बिंदु तैयार किया, अर्थात, क्या अधिकारियों को 'पदोन्नति' के मामले में आरक्षित उम्मीदवारों के लिए योग्यता अंकों की कम संख्या तय करने की अनुमति थी। पीठ ने इस न्यायालय के तीन निर्णयों पर ध्यान दिया; (1) इंद्र साहनी (2) एस. विनोद कुमार और (3) कुलदिप सिंह ने कहा कि न्यायालय ने कुलदिप सिंह मामले पर ध्यान नहीं दिया। बहुमत की टिप्पणियों के साथ-साथ इंद्रा साहनी में जे. सावंत की टिप्पणियों और मामले की सुनवाई तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा करने की आवश्यकता थी।

6. 2.12.1999 को मामला तीन न्यायमूर्तियों की खंड पीठ के सामने आया। उस दिन बेंच ने वही बात दोहराई जो पहले दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 08.10.1999 के आदेश में कही थी कि कुलदीप सिंह मामले में पीठ ने इंद्रा साहनी मामले में बहुमत के फैसले का हवाला नहीं दिया था। पीठ ने कुलदीप सिंह मामले में फैसले की सत्यता पर संदेह जताया और मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया। संदर्भ आदेश में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने हरिदास परसेदिया आदि बनाम उर्मिला शाक्या और अन्य (सिविल अपील सं. 1999 का 6590-6592 आदि) दिनांक 19.11.1999 के फैसले को भी नोट किया, जिसमें यह देखा गया था कि विभागीय पदोन्नति परीक्षा के मामले में, जो विशेष रुप से अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के लिए आयोजित की जाती है, तो हो सकता है उत्तीर्णता अंक में 10 प्रतिशत की कमी जहाँ तक हरिदास परसेदिया पूर्व लिखित का संबंध है खंड पीठ ने कहा कि उस मामले में, इंद्रा साहनी मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि पदोन्नति के मामले में मानकों को कमजोर नहीं किया जा सकता है।

7. यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एम. नागराज के मामले में संविधान पीठ के समक्ष अनुच्छेद 16 (4ए) की संवैधानिक वैधता पर विचार किया गया। रिपोर्ट के कंडिका 97 से 99 (पृष्ठ 267) में संविधान पीठ ने कहाः

97. जैसा कि ऊपर कहा गया है, अनुच्छेद 16 का खंड (4-ए) अनुच्छेद 16 के खंड (4) से बनाया गया है। खंड (4-ए) केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्रदान करता है एस. विनोद कुमार बनाम भारत संघ में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 335 को देखते हुए अनुच्छेद 16 (4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण के मामलों में योग्यता अंकों और मूल्यांकन के मानकों में छूट की अनुमति नहीं है। इन्द्रा साहनी मेंयह भी नज़रिया था

98. संविधान के अनुसार (82 वें संशोधन) अधिनियम, 2000 संविधान के अनुच्छेद 335 के अंत में एक परंतुक जोड़ा गया था जो निम्नानुसार हैः

“बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में किसी भी परीक्षा में योग्यता अंकों में छूट या मूल्यांकन के मानकों को कम करने, संघ या किसी राज्य के मामलों के संबंध में किसी भी वर्ग या सेवाओं के वर्गों या पदों में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।”

99. इस परंतुक को केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दी गई पदोन्नति में आरक्षण के लाभ के बाद जोड़ा गया था। यह परंतुक विनोद कुमार में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया था, जिसमें यह विचार रखा गया था कि अनुच्छेद 335 में निहित आदेश को देखते हुए अनुच्छेद 16 (4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण के मामलों में छूट की अनुमति नहीं है। एक बार जब अनुच्छेद 16 के खंड (4) से एक अलग श्रेणी बनाई जाती है तो उस श्रेणी को पदोन्नति में आरक्षण के

मामलों में छूट दी जा रही है। यह प्रावधान केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक ही सीमित है। उक्त परंतुक अनुच्छेद 16 (4-ए) की योजना के अनुरूप है।

8. संविधान पीठ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष एम. नागराज में भी संविधान पीठ है।

प्रासंगिक है और वे नीचे लिखे अनुसार हैंः

121. जिन विवादित संवैधानिक संशोधनों द्वारा अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) को जोड़ा गया है, वे अनुच्छेद 16 (4) से आते हैं। वे अनुच्छेद 16 (4) की संरचना को नहीं बदलते हैं। वे नियंत्रक कारकों या बाध्यकारी कारणों, अर्थात्, पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को बनाए रखते हैं जो राज्यों को अनुच्छेद 335 के तहत राज्य प्रशासन की समग्र दक्षता को ध्यान में रखते हुए आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। ये विवादित संशोधन केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक ही सीमित हैं। वे किसी भी संवैधानिक आवश्यकता को समाप्त नहीं करते हैं, जैसे कि 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा (मात्रात्मक सीमा), क्रीमी लेयर (गुणात्मक बहिष्करण) की अवधारणा, एक ओर अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरी ओर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच उप-वर्गीकरण, जैसा कि इंदिरा साहनी में माना गया है, प्रतिस्थापन की अंतर्निहित अवधारणा के साथ पोस्ट-आधारित रोस्टर की अवधारणा जैसा कि आर. के. सभरवाल में आयोजित किया गया है।

122. हम दोहराते हैं कि 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा, क्रीमी लेयर की अवधारणा और बाध्यकारी कारण, अर्थात् पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक दक्षता सभी संवैधानिक आवश्यकताएं हैं जिनके बिना अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की संरचना ध्वस्त हो जाएगी।

123. हालाँकि, इस मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मुख्य मुद्दा "आरक्षण की सीमा" से संबंधित है। इस संबंध में संबंधित राज्य को प्रत्येक मामले में निर्णय लेने से

पहले बाध्यकारी कारणों, अर्थात् प्रतिनिधित्व में पिछड़ेपन की अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक दक्षता का अस्तित्व दिखाना होगा। आरक्षण का प्रावधान। जैसा कि ऊपर कहा गया है, विवादित प्रावधान एक सक्षम प्रावधान है। राज्य पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। हालाँकि, यदि वे अपने विवेक का प्रयोग करना चाहते हैं और ऐसा प्रावधान करना चाहते हैं, तो राज्य को अनुच्छेद 335 के अनुपालन के अलावा वर्ग के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि भले ही राज्य के पास सम्मोहक कारण हों, जैसा कि ऊपर कहा गया है, राज्य को यह देखना होगा कि इसके आरक्षण प्रावधान से 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन न हो या क्रीमी लेयर समाप्त न हो या अनिश्चित काल के लिए आरक्षण का विस्तार न हो।

124. उपरोक्त के अधीन, हम संविधान (सत्तरवां (संशोधन) अधिनियम; 1995 की संवैधानिक वैधता को बनाए रखते हैंःसंविधान (81 वां संशोधन) अधिनियम, 2000; संविधान (82 वां संशोधन) अधिनियम, 2000 और संविधान (85 वां संशोधन) अधिनियम, 2001।

9. हम नहीं सोचते, यह हमारे लिए आवश्यक है। कि अनुच्छेद 16 (4 ए) के विस्तृत और दायरे से निपटने के लिए। जहाँ तक कुलदिप सिंह का संबंध है, हम पाते हैं कि इस मामले का निर्णय इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 16(4 ए) में निहित संवैधानिक प्रावधान को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इस न्यायालय द्वारा कुलदिप सिंह में लिया गया दृष्टिकोण अनुच्छेद 16 (4 ए) में व्यक्त संवैधानिक योजना के अनुरूप है। दूसरी ओर, एस. विनोद कुमार में, न्यायालय अनुच्छेद 16 (4 ए) पर विचार करने में विफल रहा। वास्तव में, इंद्र साहनी में टिप्पणियों को पूर्ववत करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 16 (4 ए) जोड़ा गया था कि पदोन्नति के मामलों में मानकों को कम नहीं किया जा सकता है।

10. हम सम्मानपूर्वक सहमत हैं कुलदिप सिंह में निर्णय लेने और उसे मंजूरी देने में। आम तौर पर, हम मामले को निपटाने के लिए नियमित पीठ को भेज देते, लेकिन विवाद की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, दिल्ली (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") ने एस. विनोद कुमार का पालन किया है जो एक अच्छा कानून नहीं है और इसके परिणामस्वरूप 1997 का ओ. एम. भी अवैध है, हमारे विचार में, अपीलार्थियों की पीड़ा को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे राहत के हकदार हैं।

11. नतीजतन, दीवानी अपीलों को अनुमति प्रदान की जाती है। आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। 1997 ओ. एम. को अवैध घोषित किया जाता है। उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड बी/ग्रेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 1996 के परिणामों में आरक्षण का प्रावधान करके संशोधन करें और यदि अब तक अनुमति नहीं दी गई है तो अपीलार्थियों को सभी परिणामी राहत दें। बिना अर्थदंड के।

कल्पना के त्रिपाठी अपील की अनुमति प्रदान की गई